प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 988 / 2022

अनवान : –

1. देवीलाल बैनिवाल पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी ललाना बास नथवानियां तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. इन्द्राज पुत्र रामरख जाति जाट निवासी ललाना बास नथवानियां तहसील नोहर।
2. ओमप्रकाश बैनिवाल पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी ललाना बास नथवानियां तहसील नोहर।
3. सुरेश पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी ललाना बास नथवानियां तहसील नोहर।
4. चन्द्र कला पुत्री इन्द्राज जाति जाट निवासी ललाना बास नथवानियां तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांकः 15.06.2023**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा ललाना बास नथवानिया तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 12 / 12 की कुल 5.4880 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति–रिवाज से शासित है। उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक सम्पति है। प्रतिवादी स0 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि का तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली। वाद भूमि पैतृक होने के कारण वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 4 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रतिवादीया संख्या 4 जो कि वादी की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है [illegible] के मौजिज व्यक्तियों के समक्ष अपने पिता व भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 4 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक भाग 1.012 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:55:37 IST
Reason: SelfAttested

काबिज है शेष भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ब0 हि0 ब0 काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी सं0 5 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में जमाबंदी सम्वत 2073–76 रोही मौजा ललानाबास नथवानिया खाता स0 12/12 ईएक्सपी–1, वारिस प्रमाण पत्र ईएक्सपी–2, शपथ पत्र बाबत सदस्य ईएक्सपी–3 आदि प्रदर्शित करवायें।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार प्रस्तुत वाद में रोही मौजा ललाना बास नथवानिया तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 12/12 की कुल 5.4880 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझाा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। प्रतिवादी संख्या 4 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 4 द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के वाद मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

खण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:55:37 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललाना बास नथवानिया तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 12/12 की कुल 5.4880 है0 भूमि में से 1.012 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रखी जाकर शेष भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 15/6/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–ललानाबास दिखनादा

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:55:37 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 988 / 2022

अनवान : –

1. देवीलाल बैनिवाल पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी ललाना बास नथवानियां तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. इन्द्राज पुत्र रामरख जाति जाट निवासी ललाना बास नथवानियां तहसील नोहर।
2. ओमप्रकाश बैनिवाल पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी ललाना बास नथवानियां तहसील नोहर।
3. सुरेश पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी ललाना बास नथवानियां तहसील नोहर।
4. चन्द्र कला पुत्री इन्द्राज जाति जाट निवासी ललाना बास नथवानियां तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 988 सन 2022 निर्णय दिनांक 15.06.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललाना बास नथवानिया तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 12/12 की कुल 5.4880 है0 भूमि में से 1.012 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रखी जाकर शेष भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 15/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:55:37 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट– ललानाबास दिखनादा